न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 183/ 2012

1 मंगतूराम पुत्र मामराज जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 राजेन्द्र कुमार पुत्र मामराज जाति कुम्हार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण

बनाम

1 रामेश्वरलाल पुत्र रामदयाल जाति कुम्हार निवासी 10 एस डी पी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 भानीराम पुत्र रामदयाल जाति कुम्हार निवासी चक 10 एस डी पी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 रानी देवी पुत्री मामराज जाति कुम्हार निवासी 17 एफ तहसील करणपूर जिला श्रीगंगानगर

4 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सादुलशहर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए.

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता (प्रार्थी)

2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय

दिनांक : 28.2.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी ए. के तहत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 12 एस डी पी खाता संख्या 34/31 प.न. 16/176 मु.न. 34 कि.न. 4 ता 7, 21 ता 25 में 2.277 है. नहरी मय खाला गै.मु. रास्ता प.न. 16/177 मु.न .41 कि.न. 1 ता 5 में 1.265 है. नहरी कुल 3.542 है. नहरी मय खाला गै.मु. रासता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के नाम 1.771 है. आराजी ब.हि.ब. दर्ज है अप्रार्थी संख्या 3 के नाम 1.771 है. रकबा दर्ज है। चक 12 एस डी पी खाता संख्या 44/39 प.न. 16/176 मु.न. 34 कि.न. 2, 3, 8, 9, 11 ता 20 में 3.542 है.नहरी मय गै.मु. रास्ता खाला आराजी अप्रार्थी संखय 1 व 2 के नाम से दर्ज कागजात है। प्रार्थीगण के राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज रकबा में कब्जा काश्त मु.न. 34 का कि.न. 4 ता 7, 21 ता 25 मे रकबा दर्ज है, मु.न. 34 के कि.न. 4ता 7 में आने जाने के लिये प्रार्थीगण इसी मुरब्बा के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में से होते हुये अपने खेत में आते जाते है, व आगे कि.न. 25 में से होते हुये कि.न. 15 व 16 में से होकर कि.न. 6 में प्रवेश करते है इस रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के खेत मे जाने के लिये कोई रास्ता नजदीक या दूर नही है। फसल सावणी व हाड़ी के वक्त मु.न. 34 कि.न. 15, 16 मेंरास्ता मंजूर नही

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

होने से अप्रार्थीगण आने जाने मे व्यवधान पैदा करते है, व कभी गुजरने देते है व कभी नही गुजरने देते है, इससे प्रार्थीगण को असहनीय क्षति होती है, इस कारण इस चालू रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे मंजूर किया जाना आवश्यक है व जरूरी है ताकि पक्षकारों के मध्य विवाद नही बढे। प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थीगण को कहा कि मु.न. 34 के कि.न. 15, 16 में 1–1 बिस्वा चालू रास्ता को मंजूर करवाने के लिये आप अपनी सहमति सक्षम अधिकारी के यहां दे दो, पहले तो आज कल आज कल करते रहे व फिर आज से 15 रोज पूर्व इन्कार हो गये, और कहने लगे कि हम तो आपके पक्ष मे सहमति के बयान नही करते है ना ही चालू रास्ता को मंजूर करवाने मे सहमत है ना ही आपको रास्ता मे से जाने देगें तुम्हे जो करना है कर लो बस यही बिनाये प्रार्थना पत्र है। वगैरा–वगैरा।

अतः प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर चक 12 एस डी पी मु.न. 34 कि.न. 15, 16 प्रत्येक किला में 1–1 बिस्वा रास्ता मंजूर किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की ओर से मेजर सिह अधिवक्ता उपस्थित आये परन्तु बाद मे हिदायत पैरवी नही होना अंकित किया एव अप्रार्थीगण स्वयं व अधिवक्ता के उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गयी। रिपोर्ट प्राप्त हुयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने रकबा में आने जाने के लिये मु.न. 34 के कि.न. 15, 16 में से रास्ता चाहा गया है एव इस सम्बध में तहसीलदार सादुलशहर से प्राप्त रिपोर्ट के अनूसार मु.न. 34 के कि.न. 15, 16 किसी सरकारी रास्ता से मिलान नही करते है एव रिपोर्ट के अनूसार मु.न. 34 के कि.न. 15, 16 में चाहा गया रास्ता का अनूतोष ही गलत है, इस सम्बध में प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे साबित हो की आराजी में आने जाने के लिये सरकारी रास्ता कि.न. 15 व 16 के नजदीक लगता हो एव प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से आराजी संयुक्त खाता मे दर्ज कागजात है एव किस किस किला पर कौन कौन काबिज है इस सम्बध में स्थिती स्पष्ट नही है एवं प्रार्थीगण का स्वयं का खाता व अप्रार्थीगण का खाता संयुक्त खाता की आराजी है एव अप्रार्थी संख्या 3 व प्रार्थीगण की आराजी संयुक्त खाता मे होने पर भी अप्रार्थी संख्या 3 ने किसी प्रकार से रास्ता की मांग नही की है एव ना ही तहसीलदार सादुलशहर द्वारा रिपोर्ट में स्पष्ट है कि प्रार्थीगण कौनसे किलों पर काबिज है एव अप्रार्थी संख्या 3 कौनसे किलों पर काबिज है, इस प्रकार प्रार्थीगण का चाहा गया अनूतोष संयुक्त खाता की आराजी में से होने के कारण स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हवाई सिंह यादव 26.2.2020
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.17 12:14:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: